



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
Integrated Regional Office, Lucknow

केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर एच, अलिगंज, लखनऊ-226004
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow-226004, Telefax-2326696
Email: roc.zlko-mef@nic.in



पत्र सं० 8बी/यू०पी०/०७/११८/२०२१/एफ०सी०/637

दिनांक : 20.10.2022

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी,
17, राणा प्रताप मार्ग,
लखनऊ, उ०प्र०।

Online Proposal No. FP/UP/Rail/41878/2019

विषय: पूर्वोत्तर रेलवे औडिहार-जौनपुर रेलवे सेक्शन के अंतर्गत रेलवे ट्रैक के दोहरीकरण में जनपद गाजीपुर(किमी० 1.900 से 10.900 तक) में प्रभावित 6.50572 हे० संरक्षित वनभूमि एवं 09 वृक्षों/पौधों के पातन तथा जनपद जौनपुर में (किमी० 10.900 से 57.400 तक) प्रभावित 43.41704 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 1337 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति अर्थात् कुल 49.92276 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक कुल 1346 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के संबंध में।

सन्दर्भ: मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश का पत्रांक-1245/11-सी-FP/UP/Rail/41878/2019, लखनऊ, दिनांक-04.10.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक राज्य शासन के पत्रांक पी-67/81-2-2021-800(54)/2021, लखनऊ, दिनांक-22.03.2021 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा राज्य सरकार ने विषयांकित प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के तहत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के पत्रांक दिनांक 18.07.2022 द्वारा राज्य शासन से कतिपय बिन्दुओं पर आवश्यक सूचना मांगी गई थी। प्रस्ताव में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन हुआ है। उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा उक्त की अनुपालना प्रेषित की गयी है। मंत्रालय के पत्रांक दिनांक 10.03.2022 एवं 10.06.2022 के अनुसार प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही हेतु राज्य सरकार निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक सूचना प्रेषित करें ताकि आगे की कार्यवाई सुनिश्चित की जा सके-

1. If the permission for use of forest land for non-forestry purposes has been granted by the State authority without the prior approval of the central government under section 2 of the Forest Conservation Act 1980 then action under section 3A and /or 3B of FC Act, as may be applicable, shall be taken against the authority causing the violation. A report with full details of violation shall be submitted by the State Government on the recommendation of the Forest Department of the State to this office for further action in the case.

भवदीया,

(डा० प्राची गंगवार)

उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा):

1. अति० मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ), वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
3. प्रभागीय निदेशक, गाजीपुर एवं जौनपुर।
4. अवर अभियंता/कार्य/निर्माण/बी०एस०वी०/उत्तर रेलवे वाराणसी।
5. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।

(डा० प्राची गंगवार)

उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)